म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,किसान भवन,अरेरा हिल्स,भोपाल

क्र—बोर्ड / बी—5 / ई—अनुज्ञा / 2019—20 / 1299 भोपाल, दिनांक 21 / 01 / 2020

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय— भोपाल / नर्मदापुरम / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / चंबल / सागर / जबलपुर एवं रीवा। (म.प्र.)

विषयः—500 क्विंटल से अधिक मात्रा की अनुज्ञा—पत्रों के सत्यापन के संबंध में।

—0—

विषयान्तर्गत ई—अनुज्ञा 16 अगस्त,2019 से प्रदेश की सभी मण्डी समितियों में शतप्रतिशत लागू होकर कियान्वित की जा रही है। दिनांक 16 अगस्त2019 से 20 जनवरी,2020 की अवधि में करीब पांच माह की अवधि में 7.50 लाख ई—अनुज्ञा जारी किए गए हैं तथा इनका त्वरित गति से सत्यापन भी किया जा रहा है। लगभग 57.50 लाख भुगतान पत्रक दर्ज हुए हैं। कुछ मण्डियों द्वारा भुगतान पत्रक / अनुज्ञा पत्रकों में संशोधन की कार्यवाही तथा अन्य तकनीकी कठिनाईयां समय—समय पर मण्डी बोर्ड के प्रकाश में लाई गई, जिनका निराकरण किया गया और निरन्तर कर रहे हैं।

ई—अनुज्ञा में कुछ ऐसी अनुज्ञाएं भी जारी की गई हैं, जिनमें 300 क्विंटल से अधिक मात्रा की सिंगल अनुज्ञाएं है। ऐसी अनुज्ञाओं की संख्या लगभग 67462 तथा 400 क्विंटल से अधिक अनुज्ञा—पत्र 4590 एवं 500 क्विंटल से अधिक मात्रा के अनुज्ञा—पत्र 1831 जारी किए गए हैं। यदि उनके सत्यापन पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी अनुज्ञा पत्र जो बड़ी मात्रा की जारी हुई हैं, उनका सत्यापन 50% से कम है। इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में सिर्फ 500 क्विंटल से अधिक मात्रा की जारी ई–अनुज्ञा पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जिनकी संख्या संभागवार (दि. 16.08.2019 से 21.01.2019) की स्थिति में निम्नानुसार है :–

स. क्र.	आंचलिक कार्यालय	कुल अनुज्ञा–पत्र	गंतव्य मण्डी पर असत्यापित	गंतव्य मण्डी पर सत्यापित
01	02	03	04	05
1	भोपाल	995	776	219
2	उज्जैन	476	370	106
3	जबलपुर	186	120	66
4	इंदौर	108	91	17
5	ग्वालियर	41	38	3
6	सागर	13	00	13
7	रीवा	1	1	00

उपरोक्तानुसार जारी ई–अनुज्ञा–पत्रों में 76% से अधिक अनुज्ञा–पत्र गैर सत्यापित हैं। इनमें अधिकांश अनुज्ञा–पत्र उसी मण्डी क्षेत्र के लिए जारी हुए हैं जहां क्रेता और विक्रेता एक ही मण्डी क्षेत्र के हैं, ऐसी अनुज्ञा–पत्र का सत्यापन उसी मण्डी सचिव द्वारा किया जाना है, जिसकी मण्डी में अनुज्ञा पत्र जारी हुआ है। इसका सत्यापन लंबित होना विचारणीय है।

उदाहरण के तौर पर सागर मण्डी द्वारा 500 क्विंटल से अधिक मात्रा की 08 अनुज्ञाएं जारी की गई हैं, जो कि सभी सत्यापित हैं। इनमें से 07 अनुज्ञाएं केवल गोडाउन से गोडाउन हैं, जिसका परिवहन नहीं हुआ है। क्रेता फर्म सिंघई ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा क्रेता राजेन्द्र कुमार कपूरचन्द जैन के पक्ष में जारी हुआ है, जिसका ट्रक क्रमांक– एमपी–15–एचए 1310 है। इस अनुज्ञा पत्र में 725.45 क्विंटल मात्रा सत्यापित दर्शाई गई है। संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, सागर इसकी स्वयं जांच कर लें क्या इतनी बड़ी मात्रा उक्त अंकित वाहन नंबर में परिवहन किया गया है अथवा नहीं।

यही स्थिति अन्य संभागों की मण्डी समितियों में भी हो सकती है। 500 क्विंटल से अधिक मात्रा की कृषि उपज की अनुज्ञा–पत्रों की मण्डीवार जानकारी पत्र के साथ संलग्न है। सभी आंचलिक अधिकारियों से अनुरोध है कि इसे विशेष अभियान के रूप में लेकर सत्यापित करा लें और कहीं त्रुटि पाई जाती है, तो उसमें सुधार की कार्यवाही करा ली जावे। मेरा यह भी अनुरोध है कि उक्त जानकारी सभी आंचलिक अधिकारियों के लॉगिन आईडी पर उपलब्ध है। वे स्वयं प्रतिदिन ऐसी जानकारी का अवलोकन कर सकते हैं तथा जहां 300 क्विंटल से अधिक मात्रा की अनुज्ञा–पत्र अथवा 500 क्विंटल से अधिक मात्रा के अनुज्ञा–पत्र जारी हो रहे हैं, उनका सत्यापन यदि मण्डी क्षेत्र एक ही है, तो उसी दिवस में किया जाए। अगर संभाग के भीतर कोई मण्डी है, तो स्वयं मण्डी सचिव को निर्देशित करके सत्यापन कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि ई–अनुज्ञा की सत्यता बनी रहे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(डॉ. केदार सिंह)
अपर कलेक्टर / अपर संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क–बोर्ड / बी–5 / ई–अनुज्ञा / 2019–20 / 1300 भोपाल, दिनांक 21 / 01 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक(ई–अनुज्ञा / नियमन) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

2. चीफ प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

अपर कलेक्टर / अपर संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट - एक

Anugya

अनुज्ञा -पत्र, जिनमें मात्रा (वजन) 500 क्विन्टल से अधिक है , दिनाँक - 16-08-2019 से 21-01-2020 तक

आँचलिक कार्यालय	स.क्र.	मंडी	कुल अनुज्ञा-पत्र	गंतव्य मंडी पर असत्यापित	गंतव्य मंडी पर सत्यापित
Bhopal	1	Vidisha	627	482	145
	2	Itarsi	111	107	4
	3	Baitul	101	64	37
	4	Pipariya	76	72	4
	5	Ganjbasoda	34	34	0
	6	Kurwai	20	0	20
	7	Multai	13	13	0
	8	Sarangpur	4	4	0
	9	Kurawar	4	0	4
	10	Harda	2	0	2
	11	Sehore	1	0	1
	12	Sironj	1	0	1
	13	Bankhedi	1	0	1
			995	**776**	**219**
Ujjain	1	Ratlam	170	168	2
	2	Shujalpur	90	84	6
	3	Neemuch	58	45	13
	4	Mandsour	45	35	10
	5	Manasa	43	0	43
	6	Ujjain	23	11	12
	7	Dewas	19	18	1
	8	Nagda	7	6	1
	9	Jawad	6	0	6
	10	Badnagar	6	0	6
	11	Akodiya	3	0	3
	12	Jawra	2	0	2
	13	Dalounda	2	2	0
	14	Sailana	1	0	1
	15	Momanbadodiya	1	1	0
			476	**370**	**106**
Jabalpur	1	Chindwara	120	114	6
	2	Katni	53	1	52
	3	Varasivni	5	0	5
	4	Chourai	4	4	0
	5	Gadarwara	1	0	1
	6	Tendukheda	1	0	1
	7	Kewalri	1	1	0
	8	Jabalpur	1	0	1
			186	**120**	**66**

आँचलिक कार्यालय	स.क्र.	मंडी	कुल अनुज्ञा-पत्र	गंतव्य मंडी पर असत्यापित	गंतव्य मंडी पर सत्यापित
Indore	1	Khandwa	87	86	1
	2	Kasrawad	6	0	6
	3	Indore	6	2	4
	4	Dhar	5	2	3
	5	Sendhwa	2	1	1
	6	Pandhana	1	0	1
	7	Khargone	1	0	1
			108	**91**	**17**
Gwaliar	1	Shadora	34	34	0
	2	Ashoknagar	2	2	0
	3	Lashkar	2	1	1
	4	Porsa	1	0	1
	5	Dabra	1	1	0
	6	Bairad	1	0	1
			41	**38**	**3**
Sagar	1	Sagar	8	0	8
	2	Naogaon	2	0	2
	3	Damoh	2	0	2
	4	Bamora	1	0	1
			13	**0**	**13**
Rewa	1	Byohari	1	1	0
	Total		1820	1396	424